



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): FARIDABAD P.S. (थाना): FARIDABAD CENTRAL Year (वर्ष): 2017
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 1050 Date (दिनांक): 19/09/2017
18:54

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	506

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 19/09/2017 Time (समय): 14:00 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 020 Time (समय): 19/09/2017
18:43 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 0.5 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): SEC 12 FARIDABAD,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सुमन

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री वीर सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1981 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Occupation (व्यवसाय):

(h) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	1065/8, SECTER 8 FARIDABAD, SECTOR - 7, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	1065/8, SECTER 8 FARIDABAD, SECTOR - 7, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, श्रीमान पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद। विय: 1. शिकायत विरुद्ध अनिल जिन्दल डायरेक्टर S.R.S . ग्रुप। 2. विनोद कुमार उर्फ मामा सैक्टर -9, फरीदाबाद । 3. डायरेक्टर S.R.S बिल्डमार्ट प्रा0 लि0 4. देवेन्द्र अधाना आधेकृत प्रतिनिधि S.R.S. व डायरेक्टर S.R.S बिल्डमार्ट प्रा0 लि0। 5. नानकचन्द तायल डायरेक्टर S.R.S । श्रीमान जी, मैं सुमन पत्नी श्री वीर सिंह निवासी 1065 सैक्टर-8, फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। मुझे दिसम्बर 2012 में सैक्टर 12 एस. आर. एस. माल में दुकान 400 स्केयर फीट का स्पेस वेचने के लिए विनोद उर्फ मामा ने मुझे फोन किया तथा कहा कि एस. आर. एस. माल मे एक साईट 400 Q. FT. की बिकाऊ है। मैं अनिल जिन्दल जो कि एस. आर. एस. का मालिक है से कहकर आपको दिला सककता हूँ। तथा उस दुकान का अच्छा किराया आपको मिल जाएगा। मैंने विश्वास करके हाँ कह दी तथा विनोद के बताए अनुसार S.R.S. माल सैक्टर- 12 में अपने पति के साथ आ गयी। यहाँ पर विनोद उर्फ मामा ने मुझे अनिल जिन्दल से मिलवाया। अनिल जिन्दल ने कहा कि मैं आपको दुकान का नम्बर नहीं बताउंगा क्योंकि मेरे पास काफी ग्राहक है। अगर आप एक मुश्त में पैसे जमा



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

कराये तो मैं एक महीने बाद रजिस्ट्री करा दूंगा। दुकान की कीमत अनिल जिन्दल ने 35 लाख बताई तो मैंने बीस लाख बावन हजार (20,52000) रुपये दिसम्बर 2012 में अनिल जिन्दल व विनोद मामा को S.R.S. सैक्टर 12 पर दे दिए। जिन्होंने जनवरी 2013 में रजिस्ट्री करवाने की बात कही तथा बकाया पैसे देने की बात कही। मगर आरोपियों ने मेरे नाम पर न एग्रीमेंट किया ना ही रजिस्ट्री कराई। मेरे बार बार कहने पर मई 2016 में मुझे 20,52000/- का चेक दे दिया तथा यह चेक POST DATED दिनांक 14.05.2020 के लिए दिया है। यह चेक मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मेरे पास पैसे देने के लिए कोई लिखित सबूत नहीं थे। चेक न0 420734 OBC बैंक में चेक करने पर व पडताल करने पर पाया कि यह चेक S.R.S. BUILD MART PVT. LTD. के डायरेक्टर देवेन्द्र अधाना द्वारा साईन किया हुआ है। यह चेक A/C NO. 00181131004942 OBC बैंक के खाते से दिया गया है। यह खाता अप्रैल 2016 से चालू हुआ है तथा इस खाता धारक की कैपीटल वैल्यू पाँच लाख से ज्यादा की नहीं है। यह चेक निम्न प्रकार से धोखाधड़ी करने के लिए आरोपीगण ने मिलीभगत व षडयंत्र के तहत मुझे दिया है ताकि धोखाधड़ी, जालसाजी, हेराफेरी से मेरे पैसे का गबन कर सके तथा इन लोगो ने काफी लोगो के साथ ऐसे ही हेरा फेरी व जालसाजी करके पैसे हड़पे हैं। 1. मुझसे पैसा अनिल जिन्दल व विनोद उर्फ मामा ने प्रोपर्टी बेचने के एवज में S.R.S. कम्पनी के लिए लिया था। 2. यह चेक S.R.S BUILD MART PVT LTD. की तरफ से मुझे जारी किया है। जबकि S.R.S. बिल्डमार्ट प्रा0 लि0 कम्पनी उस समय थी ही नहीं। 3. S.R.S BUILD MART PVT LTD. के डायरेक्टर देवेन्द्र अधाना अनिल जिन्दल का कर्मचारी है। जिसकी आर्थिक स्थिति अर्थात वैल्यू 20,52000/- रुपये देने लायक नहीं है। 4. देवेन्द्र अधाना S.R.S BUILD MART PVT LTD. CO. का कोई व्यवसाय नहीं है। यह कम्पनी मात्र आम लोगो को व मुझ जैसे लोगो को छल करने के लिए बनाई गई है ताकि जिन लोगो के पैसे देने हैं उनको धोखा देने के लिए S.R.S BUILD MART PVT LTD. का चेक दे दे। यह चेक भी वर्ष 2020 तक का दिया है। वर्ष 2020 से पहले ही देवेन्द्र अधाना कर्मचारी है उसे हटा दिया जायेगा या भगा दिया जायेगा ताकि जनता इन चेक को लेकर अदालत में परेशान होती रहेगी। 5. मुझे चेक न0 420734 दिनांक 14.5.2020 के लिए दिया है यह केवल धोखा देने की नियत से व पैसा न देने की नीयत से दिया है। मैं इस चेक में दशाये गई तिथि से सहमत नहीं हूँ। इसलिए उपरोक्त आरोप के द्वारा की गई धोखाधड़ी, जालसाजी, हेरीफेरी व अमानत मे ख्यानत के आरोप में अपराधिक कार्यवाही काराना चाहती हूँ तथा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। कृप्या करके इन उपरोक्त अनिल जिन्दल, विनोद उर्फ मामा की धमकी देते हैं। कृप्या करके इन उपरोक्त अनिल जिन्दल, विनोद



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

उर्फ मामा डायरेक्टर S.R.S. बिल्डमार्ट प्रा० लि० देवेन्द्र अधाना, नानकचन्द के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। SD- सुमन पत्नी श्री वीर सिंह मकान नं० 1065, सैक्टर -8, फरीदाबाद मो० 9811652188 अज थाना :- आज दिनांक 19.09.2017 को परिवार नम्बरी 2973-CP दिनांक 19.09.2017 मार्फत DCP CENTRAL FBD से बजरिया डाक थाना मे प्राप्त हुई जिस पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश फरमाए गए है जो दरखास्त से मजबुन से सरदेस्त सुरत जुर्म जैर धारा 420,506,120B IPC का सरजद होना पाया जाता है जिस पर मुकदमा न० 1050 दिनांक 19.09.2017 धारा 420,506,120B IPC थाना सैन्ट्रल फरीदाबाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रतिया नियमानुसार कम्प्युटर द्वारा तैयार करके इलाका मैजिस्ट्रेट साहब वा अफसरान बाला की सेवा मे बजरिया डाक के भेजी जाएगी है । नकल मिशाल पुलिस मय असल दरखास्त आगामी तफतीश हेतू ASI साजिद हुसैन के हवाले की जायेगी ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sazid Hussain Sub-Inspector)

No. (सं.): FBD to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression of the complainant /

informant (शिकायतकर्ता /

सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे

का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): rajdeep singh

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): pp

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):